पत्रांक /विधि–अनु0 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर0 / 09–10 / दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि –अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक २५ जून 09

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि व्यापारियों को विभिन्न कारणों से वापसी योग्य धनराशि की प्रकिया के सम्बंध में अधीनस्थ अधिकारियों में भ्रान्तियां है । मूल्यवर्धित कर नियमावली के नियम–4 के उप नियम–2 में प्रदत् अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिफण्ड की जाने वाली धनराशि हेतु प्रकिया निम्नवत् विनयमित की जाती है–

जिन व्यापारियों के मामलों मे रिफण्ड की कार्यवाही होनी है, एवं ऐसे व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावली पर जमा के चालान, प्रमाण पत्र अथवा टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, उन मामलों में रिफण्ड की पुरानी व्यवस्था (यथा मूल्यवर्धित कर नियमावली में प्राविधानित है) के अन्तर्गत रिफण्ड वाउचर के माध्यम से ही वापसी की जायेगी। जिन मामलों में वापसी(Refund) इनपुट टैक्स केडिट(ITC)/एक्सपोर्ट आदि के विरुद्ध वापस होनी है, एवं जिन मामलों में जमा के चालान सम्बन्धित व्यापारियों की पत्रावली पर उपलब्ध नही है, के सम्बंध में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करने के साथ–साथ ऐसे मामलों में रिफण्ड के लिए विविध आदेश अलग से पारित किया जायेगा, ऐसे मामलों में पारित किये जाने वाले विविध आदेश का प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस प्रारुप में व्यापारी का बैंक एकाउन्ट नं0, बैंक का नाम एंव पता का उल्लेख किया जाना है ताकि रिफण्ड की राशि के सम्बन्ध में चेक जारी किये जाने पर सीधे व्यापारी के खाते में जमा कराया जा सके । अतः सम्बन्धित व्यापारियों के बैंक खाता(Bank Account) नं0 एवं बैंक का नाम एवं पता लिया जाना आवश्यक है। अतः कर निर्धारण अधिकारी पत्रावली में सम्बन्धित व्यापारी का बैंक खाता नम्बर बैंक के नाम का उल्लेख अभिलेख हेतु अवश्य कर दें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रु0 25000/– से अधिक की वापसी के मामलों में रिफण्ड वाउचर/विविध आदेश (यथा स्थिति) मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 41 के उपनियम 3 में दी गयी व्यवस्थानुरुप ज्वांइट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर स्तर से नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त ही भुगतान हेतु आहरण वितरण अधिकारियों को भेजा जायेगा। यह ध्यान रखा जाय कि, उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के आधार पर सम्पन्न किया जाय।

–2–

इस सम्बंध मे इनपुट टैक्स केडिट/एक्सपोर्ट के रिफण्ड के लिए आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन किया जा रहा है। इस राशि एवं मानक मद से ही इनपुट टैक्स केडिट/एक्सपोर्ट की वापसी की राशि आहरित की जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी विविध आदेशों के साथ वापसी (Refund) की धनराशि को बिल के साथ कोषागार से संगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आहरित कर चैक के माध्यम से व्यापारियों को उपलब्ध करायेंगे। चालू वित्तीय वर्ष 09–10 में वैट (VAT) के मद में वापसी करने (Refund) में अनुदान संख्या–07 लेखा शीर्षक–2040–बिकी व्यापार आदि पर कर, 00–आयोजनेत्तर, 800–अन्य व्यय, 05–VAT के अन्तर्गत वापसी का प्राविधान बजट में किया गया है।

(एल0एम0पंत)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

पृ.प.स. 1147 / दिनांक उक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2–महालेखाकार, उत्तराखण्ड़ वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3–अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4–एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
5–एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6–समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7–ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8–ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।
10–श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आर्शीवाद इनकलेव देहरादून।
11–पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूडकी।
12–संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
13–इन्टावैट ईन्फो प्रा0 लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
14–नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।
15–नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
16–लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड़ राजनगर गाजियाबाद।
17–डिप्टी कमिश्नर (उ0न्याय0कार्य) वाणिज्य कर नैनीताल।
18–दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार देहरादून।
19–कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
20–विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

24/6/200
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

79vi

रिफण्ड वापसी के सम्बंध में विविध आदेश

1–व्यापारी/व्यक्ति का नाम एंव पता जिसे रिफण्ड देय है।

2–टिन नं0(यदि आवंटित हुआ हो)

3–रिफण्ड के संदर्भ में व्यापारी द्वारा सूचित बैंक का पूरा नाम एंव पता।

4–बैंक अकाउन्ट नं0

कर निर्धारण वर्ष 20.....–20..... के संदर्भ में निम्नांकित कारणों/पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में रु0 .....(शब्दों में) की धनराशि वापसी योग्य पायी गयी है।

1– कर निर्धारण वर्ष 20.....–20..... के लिए दिनांक ..... को कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश/अर्थदण्ड आदेश/किसी अन्य कार्यवाही के फलस्वरुप रिफण्ड के सम्बंध में पारित आदेश।

2– अवधि वर्ष 20.....–20..... के संदर्भ में दिनांक ..... को अपील प्राधिकारी/ट्रिव्यूनल/पुनरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में रिफण्ड सम्बंधी आदेश।

3– अवधि वर्ष 20.....–20..... के संदर्भ में दिनांक ..... को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन/रिट संख्या..... में पारित निर्णय के संदर्भ में रिफण्ड सम्बंधी आदेश।

4– अवधि वर्ष 20.....–20..... के संदर्भ में दाखिल किये गये नक्शों में इनपुट टैक्स केडिट लिये जाने के कारण अधिक जमा धनराशि के संदर्भ में व्यापारी द्वारा रिफण्ड सम्बंधी दावे के सम्बंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत धारा.....में पारित आदेश दिनांक.....

5– सुसंगत अभिलेखों की जाँच तथा यथावश्यक बकाया सम्बंधी देयों का समायोजन करने के उपरान्त मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि व्यापारी को उपरोक्त कारणोवश रु0..... (शब्दों में) की धनराशि वापसी योग्य है। अतएव मैं रु0 .....(शब्दों में) की धनराशि की वापसी के आदेश देता हूँ।

कर निर्धारण अधिकारी
का नाम एवं पदनाम।

तिथि .....

मोहर

पत्र संख्या– दिनांक

सर्वश्री..... के पक्ष में पारित रिफण्ड आदेश की दो प्रतियाँ आहरण वितरण अधिकारी..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया ट्रेजरी के माध्यम से बिल पास कराकर सम्बन्धित व्यापारी/व्यक्ति को उनके बैंक अकाउन्ट में ट्रांसफर कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कर निर्धारण अधिकारी
का नाम एवं पदनाम।

तिथि .....

मोहर